17/6/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उप-
रोक्त प्रकरण प्रार्थिया द्वारा किया
जाता है। पिछला निर्णय खारिज किया
गया। केस दाखिल दफ्तर हो।
आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/121

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:05 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

धापादेवी आदि बनाम सरकार

किस्म मुकद्मा :— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या :— 49/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
17/6/25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीयान ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम पेशकर निवेदन किया कि प्रार्थीयान के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 1 जी.डी.एस.एम. के खाता संख्या 68/8 के पत्थर नं. 59/14 (113) के किला नं. 22/2 में 0.228, 23/2 में 0.228, 24/2 में 0.228 = 0.684 हैक. कमाण्ड व पत्थर नं. 59/15 (132) के किला नं. 2 ता 4/0.759, 6/2 में 0.202, 7 ता 9/0.759 = 1.720 हैक. कमाण्ड व पत्थर नं. 59/23 (133) के किला नं. 5/2 में 0.240, 6/0.253, 15 ता 17/0.759 = 1.252 हैक. कमाण्ड इस प्रकार कुल 3.656 हैक. कमाण्ड में 1/8, 1/8 हिस्सा व इसी चक 1 जी.डी. एस.एम. के खाता संख्या 61/66 के पत्थर नं. 59/23 (133) के किला नं. 3/1 में 0.063, 4/1 में 0.152, 7–8/0.506, 14/0.253 = 0.974 हैक. कमाण्ड में 1/64, 1/64 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीयान की शादी होने के बाद सुसराल में धापादेवी के स्थान पर द्रोपती देवी व पोपादेवी के स्थान पर मन्जू देवी अंकित करवा दिया व राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में पीहर में नाम अंकित धापादेवी व पोपादेवी होने से अंकित हुये है। प्रार्थीयान के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड में द्रोपती देवी व मन्जू देवी अंकित है। इसलिए प्रार्थीयान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित नाम धापादेवी के स्थान पर धापादेवी उर्फ द्रोपती देवी व पोपादेवी के स्थान पर पोपादेवी उर्फ मन्जू देवी अंकित करवाना चाहती है। अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो के आधार पर साबित होता है कि प्रार्थीयान के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 1 जी.डी.एस.एम. के खाता संख्या 68/8 के पत्थर नं. 59/14 (113) के किला नं. 22/2 में 0.228, 23/2 में 0.228, 24/2 में 0.228 = 0.684 हैक. कमाण्ड व पत्थर नं. 59/15 (132) के किला नं. 2 ता 4/0.759, 6/2 में 0.202, 7 ता 9/0.759 = 1.720 हैक. कमाण्ड व पत्थर नं. 59/23 (133) के किला नं. 5/2 में 0.240, 6/0.253, 15 ता 17/0.759 = 1.252 हैक. कमाण्ड इस प्रकार कुल 3.656 हैक. कमाण्ड में 1/8, 1/8 हिस्सा व इसी चक 1 जी.डी.एस.एम. के खाता संख्या 61/66 के पत्थर नं. 59/23 (133) के किला नं. 3/1 में 0.063, 4/1 में 0.152, 7–8/0.506, 14/0.253 = 0.974 हैक. कमाण्ड में 1/64, 1/64 हिस्सा खातेदारी भूमि में नाम धापादेवी पुत्री करणी उर्फ करणाराम व पोपादेवी पुत्री करणी उर्फ करणाराम अंकित है व ग्राम पंचायत गोविन्दर द्वारा जारी प्रमाण व आधार कार्ड में धापादेवी के स्थान पर द्रोपती देवी व पोपादेवी के स्थान पर मंजू देवी अंकित है। इसलिए धापादेवी पुत्री करणी उर्फ करणाराम के स्थान पर धापादेवी उर्फ द्रोपती देवी पुत्री करणी उर्फ करणाराम व पोपादेवी पुत्री करणी उर्फ करणाराम के स्थान पर पोपादेवी उर्फ मंजू देवी पुत्री करणी उर्फ करणाराम दर्ज करना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा. अधिनियम स्वीकार किया जाकर धापादेवी पुत्री करणी उर्फ करणाराम के स्थान पर धापादेवी उर्फ द्रोपती देवी पुत्री करणी उर्फ करणाराम व पोपादेवी पुत्री करणी उर्फ करणाराम के स्थान पर पोपादेवी उर्फ मंजू देवी पुत्री करणी उर्फ करणाराम दर्ज करने हेतु तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:05 IST
Reason: Self Attested